



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND GOMTI NAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA LUCKNOW

PRINT DATE - 02/02/2019

FILE NO. NR-129/AA/M.CELL/18

WARD :

SCHEME : UTTARDHAUNA

PERMIT NO. : MAP-20180801142508397

**PROPERTY: KHASRA NO.374 -376,
380, 381, 383 - 387, 404 - 407,
419 - 422 UTTARDHAUNA
FAIZABAD ROAD, LUCKNOW**

SITE OF : LAYOUT

NAME : SPRING GARDEN

**ADDRESS : B-46 VIBHUTI KHAND GOMTI NAGAR
LUCKNOW.**

Sanction vide order dated 13/12/2018 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 12/12/2023

Restriction if required : पृष्ठ भाग पर अंकित प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।

**Signature of Competent Authority (BHAWAN)
Under the U.P.**

प्रतिबन्ध-

1. भूस्वामित्व तथा भूमिविवाद एवं भूमि की चौहददी के सम्बन्ध में प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा
2. पक्ष को निर्माण व विकास कार्य पूर्ण करने के उपरान्त पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. समस्त अवस्थापना सुवधिएँ विकसित करते हुए नगर निगम को हस्तान्तरित करने से पूर्व रख-रखाव करना होगा तथा स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं पक्ष का होगा।
4. प्रस्तावित कालोनी हेतु आवश्यक कनेक्टिविटी आवेदक/विकासकर्ता को अपने व्यय पर कराना होगा।
5. प्रश्नगत कालोनी के विकास हेतु किसी अन्य विभाग की यदि अनापत्ति आवश्यक हो तो अनुमति आवेदक/विकासकर्ता को अपने स्तर से प्राप्त करना अनिवार्य है।
6. स्थल पर स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी सूचना पट्ट स्थापित करना अनिवार्य है।
7. निर्माण अवधि में लेबर एक्ट तथा नेशनल सेफटी काउंसिल के प्राविधानों का पालन करना होगा।
8. स्थल पर शासनादेश के अनुसार लैण्ड स्केप एवं वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
9. भविष्य में भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का वाद-विवाद उत्पन्न होने पर उसकी समस्त जिम्मेदारी निर्माणकर्ता/आवेदक की होगी।
10. वांछित विभागों की अनापत्ति में उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा।
11. ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भवनों का आवंटन नियमानुसार प्राधिकरण के माध्यम से किया जाना होगा।
12. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा मागे जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा।
13. यदि भविष्य में ऐसी कोई बात प्रकाश में आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छिपाकर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गयी है, अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।



JF.